

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 मार्च 2019—फाल्गुन 15, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. 4063-70-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 मार्च, 2019 को राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०१९

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१९

[दिनांक 4 मार्च, 2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 6 मार्च, 2019 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१९ है.

वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,२२,२१,०३,२०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक सौ बाईस करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार दो सौ मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०१८-२०१९ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवाएं और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये	
	भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	राजस्व	०	५०,१४,००,०००	५०,१४,००,०००
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	५,००,००,२००	०	५,००,००,२००
०३.	पुलिस	राजस्व	१००	०	१००
०५.	जेल	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
०६.	वित्त	राजस्व	१,००,००,१००	०	१,००,००,१००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	१००	०	१००

(१)	(२)	(३)		
			रुपये	रुपये
१०.	वन	पूंजी	४००	०
				४००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	२००	०
				२००
१४.	पशुपालन	राजस्व	१००	७,००,०००
				७,००,१००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	५०,००,००,०००	०
		पूंजी	१,००,००,२००	०
				५०,००,००,०००
				१,००,००,२००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	२००	०
				२००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	३००	०
		पूंजी	३००	०
				३००
				३००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	राजस्व	५,००,००,४००	०
		पूंजी	१००	०
				५,००,००,४००
				१००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	२००	०
				२००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	३००	०
				३००
	योग	राजस्व	७१,००,०१,८००	५०,२१,००,०००
		पूंजी	१,००,०१,४००	०
		वृहद्-योग	७२,००,०३,२००	५०,२१,००,०००
				१,२१,२१,०१,८००
				१,००,०१,४००
				१,२२,२१,०३,२००

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2019

क्र. 4063-70-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 4 OF 2019

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (NO.-3) ACT, 2019

[Received the assent of the Governor on the 4th March, 2019; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th March, 2019].

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the financial Year 2018-2019.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 3) Act, 2019.

Issue of Rs. 1,22,21,03,200 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2018-19.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. One hundred twenty-two crore twenty-one lakh three thousand two hundred only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial Year 2018-2019 in respect of services and purpose specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sum authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
..	Charged Appropriation- Revenue Interest Payments and Servicing of Debt.	0	50,14,00,000	50,14,00,000
01.	General Administration			
	Revenue	5,00,00,200	0	5,00,00,200
03.	Police			
	Revenue	100	0	100
05.	Jail			
	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
06.	Finance			
	Revenue	1,00,00,100	0	1,00,00,100
08.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	100	0	100

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
10.	Forest				
	Capital	400	0	400	
12.	Energy				
	Revenue	200	0	200	
14.	Animal Husbandry				
	Revenue	100	7,00,000	7,00,100	
22.	Urban Development and Housing.				
	Revenue	50,00,00,000	0	50,00,00,000	
	Capital	1,00,00,200	0	1,00,00,200	
24.	Public Works-Roads and Bridges.				
	Capital	200	0	200	
27.	School Education (Primary Education).				
	Revenue	300	0	300	
	Capital	300	0	300	
47.	Technical Education, Skill Development and Employment.				
	Revenue	5,00,00,400	0	5,00,00,400	
	Capital	100	0	100	
48.	Narmada Valley Development				
	Capital	200	0	200	
51.	Religious Trusts and Endowments.				
	Revenue	300	0	300	
Total		Revenue:	71,00,01,800	50,21,00,000	1,21,21,01,800
		Capital :	1,00,01,400	0	1,00,01,400
		Grand Total :	72,00,03,200	50,21,00,000	1,22,21,03,200